



महोबा पुलिस

दिनांक- 13.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 356/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।

- आज दिनांक 13.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
 - जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
 - पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
 - साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





दिनांक- 13.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 357/26

महोबा पुलिस

कानून-व्यवस्था एवं बैंकिंग सुरक्षा के दृष्टिगत महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया बैंक चेकिंग अभियान...

- आज दिनांक 13.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में, रविवार की साप्ताहिक अवकाश के उपरांत सोमवार को बैंक खुलते ही जनपद महोबा में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया।
- अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।





दिनांक- 13.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 358/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस की बड़ी कार्यवाही- जुआ खेलते 05 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹1.01 लाख से अधिक नकदी सहित 07 अदद मोबाइल फोन, 02 मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में थाना खन्ना पुलिस द्वारा अवैध जुआ/सट्टा की गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

आज दिनांक 13.07.2026 को थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में उप निरीक्षक श्री नरोत्तम सिंह मय हमराही पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मनोरा बाबा मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे, थाना खन्ना क्षेत्रान्तर्गत दबिश दी गई। मौके से 05 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल ₹89,600/- (मालफड़), जामा तलाशी में ₹11,550/-, 52 अदद ताश के पत्ते, 07 अदद मोबाइल फोन तथा 02 मोटरसाइकिल (एक अपाचे सहित) बरामद की गई। बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खन्ना पर मु0अ0सं0 67/2026 धारा 13 जी एक्ट एवं धारा 112(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया। उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में विभिन्न थानों पर जुआ अधिनियम, मारपीट, एससी/एसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

1. मुलायम सिंह पुत्र स्व0 रघुवीर सिंह, निवासी ग्राम सुरहा थाना कबरई जनपद महोबा
2. बरातीलाल यादव पुत्र स्व0 राजाराम यादव, निवासी अवन्ती नगर, थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
3. बोधन यादव पुत्र रामआसरे यादव, निवासी लोहार तलैया, थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
4. गोविन्द सिंह राजपूत पुत्र चुन्ना राजपूत, निवासी ग्राम पल्हरी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
5. शिवबरन तिवारी उर्फ चच्चू महाराज पुत्र चुन्नूलाल तिवारी, निवासी ग्राम खिरूही थाना खन्ना जनपद महोबा

आपराधिक इतिहास:-

1. अभियुक्त मुलायम सिंह उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व से मु0अ0सं0 50/2024 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा में पंजीकृत है।
2. अभियुक्त बरातीलाल यादव उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा में निम्न अभियोग पंजीकृत हैं-
 - मु0अ0सं0 599/2017 धारा 323/354ख/452/504/506 भादवि व धारा 3(2)5, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट
 - मु0अ0सं0 884/2023 धारा 323/324/341/427/504/506 भादवि
 - मु0अ0सं0 715/2024 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस

3. अभियुक्त बोधन यादव उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा में मु0अ0सं0 968/2022 धारा 3/4 जुआ अधिनियम पंजीकृत है।
4. अभियुक्त गोविन्द सिंह राजपूत उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा में मु0अ0सं0 1112/2022 धारा 306 भादवि पंजीकृत है।
5. अभियुक्त शिवबरन तिवारी उर्फ चच्चू महाराज उपरोक्त के विरुद्ध थाना खन्ना, जनपद महोबा में मु0अ0सं0 1180/2012 धारा 147/148/323/324/504/506 भादवि एवं धारा 30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

- ₹89,600/- मालफड़
- ₹11,550/- जामा तलाशी,
- 52 ताश के पत्ते
- 07 मोबाइल फोन
- 02 मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उप निरीक्षक श्री नरोत्तम सिंह
2. आरक्षी मुकेश कुमार
3. आरक्षी सिकन्दर
4. आरक्षी सुमित सिंह
5. आरक्षी प्रियांशु पाण्डेय
6. आरक्षी हेमन्त कुमार





महोबा पुलिस

दिनांक- 13.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 359/26

सर्किल कुलपहाड़ थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध तमंचा व कारतूस सहित शांतिर अपराधी गिरफ्तार।

चोरी, आबकारी, पोक्सो, खनन व गुंडा एक्ट समेत 10 से अधिक अभियोग है पंजीकृत।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए भूरा टोडर मोड़ स्थित यात्री प्रतिकालय से 01 नफर अभियुक्त सन्दीप राजपूत पुत्र धर्मपाल राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम घटेरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 102/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. उ0नि0 लालबहादुर, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
3. रि0कां0 सूरज कुमार भारती, थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

- सन्दीप राजपूत पुत्र धर्मपाल राजपूत, उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम घटेरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बरामदगी-

- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर (नाजायज)

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 39/20 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज अधि0 थाना महोबकंठ
2. मु0अ0सं0 209/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना महोबकंठ
3. मु0अ0सं0 76/23 धारा 376(2N)/323/504/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना महोबकंठ
4. मु0अ0सं0 02/23 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खान खनिज अधि0 थाना महोबकंठ
5. मु0सि0सि0 नं0 131/23 धारा 110 जीसीआरपीसी थाना महोबकंठ
6. मु0सि0सि0 नं0 01/24 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना महोबकंठ
7. मु0अ0सं0 44/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधि0 व 3/25 आयुध अधिनियम
8. मु0अ0सं0 83/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधि0 व 3/25 आयुध अधिनियम
9. मु0अ0सं0 03/2026 धारा 126(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना महोबकंठ
10. मु0अ0सं0 102/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना महोबकंठ



The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It highlights the need for a comprehensive understanding of the subject matter and the role of the researcher in this process. The second part of the paper presents the methodology used in the study, including the data collection methods and the analysis techniques. The third part of the paper discusses the results of the study and the conclusions drawn from the findings. The final part of the paper provides a summary of the key points and offers suggestions for future research.

The research was conducted in a systematic and rigorous manner, following the principles of scientific inquiry. The data was collected from a large sample of participants, ensuring the representativeness of the findings. The analysis was conducted using advanced statistical techniques, allowing for a detailed examination of the data. The results of the study are presented in a clear and concise manner, highlighting the key findings and their implications.

The findings of the study have important implications for the field of research. They provide a new perspective on the subject matter and offer valuable insights into the underlying mechanisms. The results also have practical implications, providing a basis for the development of new interventions and policies. The study contributes to the existing body of knowledge and opens up new avenues for future research.

In conclusion, the study has provided a comprehensive understanding of the subject matter and has identified key areas for future research. The findings have important implications for the field and offer valuable insights into the underlying mechanisms. The study contributes to the existing body of knowledge and opens up new avenues for future research.